



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50061

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7839/2026

धर्मपाल सिंह

----- याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रवेश कुमार पांडे, सर्वेश कुमार पांडे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि विरोधी पक्ष इस आदेश से स्वयं को व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् तहसीलदार (न्यायिक), तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा को यह निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत मामला संख्या RST/6733/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या T20251338030673 (ओमब्रत बनाम होराम) का निपटारा निर्धारित समयावधि के भीतर करें।
4. याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, इस तरह के आवेदनों का निपटारा एक निश्चित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"(7). तहसीलदार, नामांतरण के निर्विवाद मामलों का निपटारा, मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे; और नामांतरण के विवादित मामलों का निपटारा 90 दिनों की अवधि के भीतर करेंगे। यदि इस अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।"

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही बीत चुकी है, फिर भी आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है; अतः यह वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् तहसीलदार (न्यायिक), तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त मामले का निर्णय, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।